



21/235/2021



तारीख रजू.....

सुनीता

बनाम

समयसिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2021	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 557, 558, 559, 560, 563, 564, 580, 582, वाके ग्राम खैड़ा मैदा व खसरा नं0 240, 241, 242, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 249, वाके ग्राम नुनियां तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 17.11.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 17.11.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      कठूमर (अलवर)                      उपखण्ड अधिकारी                      कठूमर (अलवर)                 </p>	
	<p>11/22 पत्रावली पेशी का काम कोर्ट में पेश हुई।</p> <p>पक्षकारिता..... <u>SPEN</u></p> <p>नहीं होने के कारण प्रकरण का निष्पत्तन नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 10/11/22 को न्यायालय हाजत में पेश हो</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      कठूमर (अलवर)                 </p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
28/7/22	<p>प्राथमिक अदालत मुंबई</p> <p>दिनांक 29/9/22</p> <p>कोष में</p> <p></p>	
29/9/22	<p>पत्रावली मूल नद के साथ फेम इकी कमील जायते उपर्युक्त अज्ञात/गण कानून व नियम अनुसार उपर्युक्त नदी कापी उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अदालत में लाइजवाही है साथ ही जायते कमील में जायता फेम मार शिष्ट बहक गद्दी गद्दी अता जायते का जायता फेम मार शिष्ट स्वीकार प्रोग्राम हुआ जाता है पत्रावली क बहम पर जनन किया गया अता जायते का स्टे डिनाउट 28.10.2021 जायते के हिससे लड ता दावा मैसला कल्लर किया जाता है निरपेक्ष पृथक् ले लिखाया जाकल शरत में किया गया पत्रावली मैसल 25 गार हेकल नम्बर में कर लेा काद उकील मूल नद के साथ लल्लर रहे) हुकम</p> <p></p> <p>उपखण्ड अधिकारी कलमूर (अलवर)</p>	